अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल

संख्या- 12 /9-1-2023-119रिट/2011

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः10 जनवरी, 2023

विषय- स्थानीय नागर निकायों के कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निकायों के कार्यो के प्रबन्धन हेतु व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4078/9-1-22-119रिट/2011 दिनांक 04.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ में योजित जनहित याचिका संख्या-878/2022 वैभव पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 92 अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.12.2022 के क्रम में स्थानीय नागर निकायों के कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निकायों के कार्यो के प्रबन्धन हेतु व्यवस्था के संबंध में प्राविधान किया गया है।

2. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली मे राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-128/2023 उ0प्र0 राज्य बनाम वैभव पाण्डेय व अन्य योजित की गयी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 04.01.2023 को पारित आदेश के अन्तर्गत विषयगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.12.2022 के अनुरूप निकायों के प्रशासनिक/वित्तीय प्रतिनिधायन करने हेतु राज्य सरकार को यथा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने के अवसर निहित है।

3. विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-128/2023 उ0प्र0 राज्य बनाम वैभव पाण्डेय व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में सम्यक् विचारोंपरान्त नगर निकायों के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के निर्वहन हेतु **जिलाधिकारी** की अध्यक्षता में एक **त्रिसदस्यीय समिति** का गठन किया जाय, जिसमें नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में संबंधित जनपद के अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय एवं अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण वितरण का कार्य तथा नगर निगमों में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय एवं नगर आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण वितरण का कार्य निष्पादित किया जाय।

4. उक्त गठित समिति केवल दैनिक प्रशासनिक कार्यों एवं पूर्व से चल रही कार्य विकास कार्य योजनाओं के पर्यवेक्षण व क्रियान्वयन को सुचारू रूप से सम्पादित करेगी। उक्त समिति कोई Major Policy Decision नहीं लेगी।

5. शासनादेश संख्या-4078/9-1-22-119रिट/2011 दिनांक 04.01.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

el go

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव मा0 मंत्री जी उत्तर प्रदेश।
3- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
7- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
8- वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।

el go